श्रीगंगानगर (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।
पीठासीन अधिकारी : करणसिंह गोठवाल, आर0ए0एस0

अपील माल प्रकरण सं0 01/14

1.श्रवण कुमार पुत्र श्री बेगाराम जाति नायक निवासी चक 2 बी0डब्ल्यू0एम(बी) ढाणी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

– अपीलार्थी

बनाम

1.धनराज पुत्र श्री बेगाराम जाति नायक निवासी चक 2 बीडब्ल्यू एम (बी) ढाणी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।
2.पतराम पुत्र श्री बेगाराम जाति नायक निवासी चक 2 बीडब्ल्यू एम (बी) ढाणी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।
3.सोहनलाल पुत्र श्री बेगाराम जाति नायक निवासी चक 2 बीडब्ल्यू एम (बी) ढाणी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।
4.मनफूलराम पुत्र श्री बेगाराम जाति नायक निवासी चक 2 बीडब्ल्यू एम (बी) ढाणी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।
5.सुन्दरादेवी पत्नी श्री मंगलाराम जाति नायक निवासी चक 2 बीडब्ल्यू एम (बी) ढाणी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।
6.धापूदेवी पत्नी श्री ईमीचन्द जाति नायक निवासी चक 2 बीडब्ल्यू एम (बी) ढाणी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।
7.स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्व नामान्तरण आदेश तहसीलदार, रायसिंहनगर
दिनांक 21–06–10

उपस्थित : 1. श्री हुक्माराम नायक, अधिवक्ता, अपीलार्थी
2. श्री जितेन्द्र पराशर अधिवक्ता, रेस्पो0 सं0 1–3–5–6
3. रेस्पोडेन्टट सं0 2–4 के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही।
4. स्टेट की ओर से राजकीय अधिवक्ता

आदेश **दिनांक : 16.06.2015**

पत्रावली राजस्व लोक अदालत के सक्षम प्रस्तुत हुई। प्रस्तुत अपील के सुसंगत तथ्य सक्षेंप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी की खातेदारी भूमि वाके चक 2 बीडब्ल्यू एम (बी) ढाणी तहसील रायसिंहनगर के मु0 नं0 13 प0नं0

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राज.)

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राज.)

296/342 में है। अपीलार्थी के पिता के कुल सात वारिस अपीलार्थी समेत है। नामान्तरण सं0 109 दिनांक 21–6–10 में जो खाता विभाजन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया है, उसके हिसाब से अपीलार्थी को 0.867 है0 रकबा मिला है जबकि वास्तव में अपीलार्थी के रकबे में सरकारी खाला 0.126 है0है। मूल रकबे 0.867 है0 में से सरकारी खाले का रकबा 0.126 है0 निकाल दिया जाये तो मौके पर अपीलार्थी के पास 0.741 है0 रकबा बचता है। अपीलार्थी के भाई व बहिन को 0.867 है0 रकबा ही मौके पर मिला हुआ है। अपीलकृत आदेश एकपक्षीय पारित किया गया है। सुनवाई व साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है। इस प्रकार निवेदन किया है कि अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलकृत आदेश दिनांक 21–6–10 निरस्त फरमाया जावे।

अपील प्रस्तुत होने पर बाद रिपोर्ट दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टस को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलार्थी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया है कि अपील मीमो ही उसकी बहस है। अपील मीमो के अनुसार अपीलार्थी की खातेदारी भूमि वाके चक 2 बीडब्ल्यू एम (बी) ढाणी तहसील रायसिंहनगर के मु0 नं0 13 प0नं0 296/342 में है। अपीलार्थी के पिता के कुल सात वारिस अपीलार्थी समेत है। नामान्तरण सं0 109 दिनांक 21–6–10 में जो खाता विभाजन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया है, उसके हिसाब से अपीलार्थी को 0.867 है0 रकबा मिला है जबकि वास्तव में अपीलार्थी के रकबे में सरकारी खाला 0.126 है0 है। मूल रकबे 0.867 है0 में से सरकारी खाले का रकबा 0.126 है0 निकाल दिया जाये तो मौके पर अपीलार्थी के पास 0.741 है0 रकबा बचता है। अपीलार्थी के भाई व बहिन को 0.867 है0 रकबा ही मौके पर मिला हुआ है। अपीलकृत आदेश एकपक्षीय पारित किया गया है। सुनवाई व साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है। इस प्रकार निवेदन किया है कि अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलकृत आदेश दिनांक 21–6–10 निरस्त फरमाया जावे।

रेस्पोडेन्टस के अधिवक्ता ने बहस में कहा है कि अपील देरी से पेश की गई है इसलिए मियाद के बिन्दू पर खारिज की जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिसम्मत् आदेश पारित किया गया है , हस्तक्षेप की गुंजायश नहीं है। अतः अपील अस्वीकार की जावे।

राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कहा है कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधिसम्मत् है। तहसीलदार, रायसिंहनगर द्वारा पारित खाता विभाजन के आदेश दिनांक 3–6–10 के आधार पर अपीलकृत इंतकाल खोला जाकर स्वीकृत किया गया है, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलकृत आदेश पारित करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की गई है। अतः अपील अस्वीकार की जावे।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया।

रेस्पोडेन्ट के अधिवक्ता का तर्क है कि अपील देरी से पेश की गई है इसलिए अस्वीकार किये जाने योग्य है। इस तर्क के खण्डन में अपीलार्थी के अधिवक्ता ने कहा है कि रेस्पोडेन्ट के अधिवक्ता द्वारा धारा 5 परिसीमा अधिनियम के प्रार्थना पत्र का न तो जवाब पेश किया गया है और न ही काउन्टर शपथ पत्र

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राज.)

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राज.)

पेश किया गया है। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार किये जाने का कोई आधार नहीं है। अतः धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर अपील पेश करने में हुई देरी को माफ किया जाना चाहिये। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि रेस्पोडेन्ट के अधिवक्ता द्वारा धारा 5 परिसीमा अधिनियम के प्रार्थना पत्र का खण्डन नहीं किया गया है और न ही काउन्टर शपथ पत्र पेश किया गया है। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों व परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को माफ किया जाता है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि तहसीलदार, रायसिंहनगर द्वारा जो खाता विभाजन का आदेश दिनांक 3–6–10 को पारित किया गया है, वह पक्षकारों की आपसी सहमति से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53(2) के अन्तर्गत पारित किया गया है। अपीलार्थी द्वारा मूल विभाजन के आदेश दिनांक 3–6–10 को अपील में चुनौति नहीं दी गई है बल्कि विभाजन के आदेश पर पारित अपीलाधीन नामान्तरण सं0 109 को अपील में चुनौति दी गई है, जो विभाजन के आदेश पर पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलकृत इंतकाल पारित करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की गई है। अपीलार्थी को मूल विभाजन के आदेश के विरूद्व सक्षम न्यायालय में विधिक कार्यवाही करनी चाहिये। विभाजन के आदेश के निर्णय का जो प्रभाव रहेगा, वह अपीलकृत इंतकाल पर पड़ेगा। अतः अपील सारहीन होने से अस्वीकार किये जाने योग्य है।

फलस्वरूप, अपील अपीलांट सारहीन होने से अस्वीकार की जाती है। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को मूल रेकार्ड के साथ भेजी जावे।

आदेश आज दिनांक 16–6–15 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

16/6/15

(करणसिंह गोठवाल)
अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राज.)